न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 160/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. किताबो पत्नी बलबीर जाति जाट साकिन सरदारपुराबास चिड़ियागांधी।
2. प्रबंधक ओबीसी बैंक शाखा गांधीबड़ी।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : पेरोकार राज : वादी
वकील श्री लीलाधर अग्रवाल – **प्रति0 सं0 1**

निर्णय **दिनांक : 25.04.2017**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 8 एसडीआर के मु0नं0 89 के किला नं0 5, 6, 7, 15 की 1.012 व मु0नं0 90 के किला नं0 1 ता 3, 8, 9 ता 13, 18 की 2.506 है0 कुल 3.542 है0 भूमि वर्तमान में किताबो पत्नी बलबीर जाति जाट साकिन सरदारपुराबास चिडियागांधी के नाम खातेदारी दर्ज है जो कि ओबीसी बैंक शाखा गांधीबडी के नाम रहन दर्ज है। उक्त में से मु0नं0 90 के किला नं0 1, 2 व 9 ता 12 की कुल 1.518 है0 को बिना कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाये ईन्ट भट्टा लगाकर उपयोग में लाया जा रहा है।

मु0नं0 90 की कुल 1.518 है0 खातेदारी भूमि में हो रहे गैर कृषिक कार्यों के लिए खातेदार दण्ड के भागीदार है। प्रतिवादी विवादित कृषि भूमि का खातेदार है उक्त खातेदारी भूमि उसे कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है। कोई भी खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में कृषि उपयोग के लिए कुल भूमि के 1/50 हिस्से पर निर्माण कार्य कर सकता है, उससे अधिक पर नहीं। प्रतिवादी द्वारा मु0नं0 90 की भूमि को बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से से अधिक भूमि के अकृषि कार्य में उपयोग कर रहा है। प्रतिवादी सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी है, प्रतिवादी सं0 1 ने जबाब दावा पेश कर कथन किया कि वादी ने अपने दावा में बिनाय दावा कैसे उत्पन्न हुआ अंकित नहीं किया, ना ही बिनाय मुखास्मत दर्ज की गई है, ना ही दावा में न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व न्यायालय शुल्क का हवाला दिया है, ना ही न्यायालय फीस जमा करवाई है व दावा के सत्यापन में उक्त दावा की मद सं0 1 ता 5 में वर्णित तथ्य मेरी इल्म व जानकारी के अनुसार सही व सत्य है

उपखण्डाधिकारी
भादरा (जिला-हनु

लिखा हुआ है लेकिन उक्त सत्यापन कर्ता का नाम पता पिता का नाम व पद का नाम जाति, निवासी कुछ भी दर्ज नहीं है। इसलिए उक्त दावा बिना कोर्ट फीस के व उक्त मद दर्ज नहीं करने के कारण व दावा सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 1 ता 3 के निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है व ना ही दावा लिगल साईज़ के पेपर पर प्रिंट है व ना ही शपथ पत्र वादी द्वारा दिया गया है इसलिए दावा काबिले खारिज है।

प्रतिवादी सं0 2 को बार बार आवाज लगाई गई उपस्थित नहीं आने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद प्रतिवाद के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि वाद भूमि चक 8 एसडीआर के मु0नं0 90 के किला नं0 1, 2 व 9 ता 12 की कुल 1.518 है0 को प्रतिवादीया ने बिना किस्म परिवर्तित करवाये व्यवसायिक/औद्योगिक कार्य के रूप में उक्त भूमि में ईन्ट भट्टा संचालित किया जा रहा है, इस कारण वादी उक्त भूमि को सिवाय चक घोषित करवाने का अधिकारी है ?

— वादी

2. आया प्रतिवादी ने माईनिंग विभाग के द्वारा परमिशन लेकर उक्त ईन्ट भट्टा संचालित किया जा रहा है तथा अब किस्म परिवर्तित करवाने को प्रतिवादी तैयार है, तो प्रभाव क्या है ?

— प्रतिवादी

3. अनुतोष ?

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 संदीप चौधरी तत्कालीन तहसीलदार भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में रिपोर्ट पटवारी हल्का प्रदर्श 1, आंशिक नजरी नक्शा चक 8 एसडीआर प्रदर्श 2, चक 7 एसडीआर प्रदर्श 3, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 8 एसडीआर खाता सं0 21/21 सम्वत् 2070–73 प्रदर्श 4, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 7 एसडीआर खाता सं0 139/144 सम्वत् 2069–72 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीया किताबो पत्नि बलबीर के सशपथ बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि संपरिवर्तन आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2018 की पेश की।

वकील प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी लिखित बहस में जाहिर किया कि चक 8 एसडीआर के मु0नं0 89 के किला नं0 5 ता 7, 15 व मु0नं0 90 के किला नं0 1 ता 3, 8 ता 13 व 18 की कुल 3.542 है0 भूमि किताबो पत्नि बलबीर जाति जाट निवासी सरदारपुराबास के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि के मु0नं0 90 के किला नं0 1, 2 व 9 ता 12 की कुल 1.518 है0 को बिना कृषि भूमि को अकृषि परियोजनार्थ रूपान्तरण करवाये ईन्ट भट्टा लगाकर गैर कृषि कार्यो के लिए उपयोग में लिया है। सक्षम स्वीकृति व सपरिर्वतन न करव कर नियमों का उल्लंघन किया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है व उक्त भूमि को सिवाय चक घोषित किया जावे का दावा प्रस्तुत किया गया था। उक्त दावा प्रस्तुत करने से पश्चात् प्रतिवादी ने अपना जबाब दावा प्रस्तुत किया व जबाब दावा के कथनों में भी कृषि भूमि को रूपान्तरण करवाने हेतु आवेदन किया हुआ है का कथन किया हुआ है तथा उक्त आवेदन के पैंडिंग रहते वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद

उपखण्डाधिकारी (रा
भादरा (जिला-हनुम

दायर करने का अधिकार भी नहीं था। जबाबदावा प्रस्तुत करने के पश्चात् साक्ष्य भी करवाई है व उक्त ईन्ट भट्टा को कन्वर्जन हेतु प्रार्थना पत्र पूर्व में प्रस्तुत किय हुआ था व नियमानुसार ईन्ट भट्टा को कन्वर्जन करवाने के लिए प्रतिवादी तत्पर व तैयार था व वर्तमान में उक्त कृषि भूमि का सम्परिवर्तन आदेश हो चुका है जिनकी जानकारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार भादरा को है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में स्टेट की ओर से भू अभिधारी किताबो के विरूद्ध विवादित कृषि भूमि को अकृषि कार्यों के उपयोग में लिए जाने का मामला है। हस्तगत प्रकरण में दो तनकीयात कायम की गई है जो वादी व प्रतिवादी दोनों को साबित करनी है, तनकी अनुसार निर्णय इस प्रकार है।

तनकी सं0 1 व 2 को साबित करने का भार वादी व प्रतिवादी पर था। दोनों तनकीयात का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। वादी की ओर से वाद पत्र के समर्थन में स्वय तहसीलदार भादरा की साक्ष्य करवाई गई है। साक्ष्य में पेराकार राज (वादी) ने कथन किया कि मुझे पता नहीं है कि वाद भूमि के कितने भाग पर भट्टा लगा है। न ही पेराकार राज (वादी) ने वादभूमि की गिरदावरी पेश की जिससे यह पता लगे कि वादभूमि के कितने भाग में कृषि कार्य हो रहा है व कितने भाग में ईन्ट भट्टा चल रहा है। प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी जिरह में बताया कि संपरिवर्तन हेतु पत्रावली पेश की हुई है। प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी लिखित बहस के साथ दस्तावेज संपरिवर्तन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

संपरिवर्तन आदेश के अनुसार कुल 7336 वर्गमीटर भूमि का वास्ते औधोगिक प्रयोजनार्थ (ईंट भट्टा) संपरिर्वतन हो चुका है। वादी को अपना वाद अपने पैरों पर खड़ा होकर साबित करना होता है। जब स्वयं वादी को ही अपने वाद के कथनों का पता नहीं है तथा वादी अपने वाद के कथनों का समर्थन नहीं कर रहा है व बार बार समय दिये जाने के उपरान्त भी लिखित बहस प्रस्तुत करने व बहस के लिए उपस्थित नहीं आऐ है, जबकि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व लिखित बहस से साबित है कि प्रतिवादी स0 1 द्वारा जिस भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ ईंट भट्टा के रूप में काम में लिया जा रहा है, उसका संपरिवर्तन करवाया जा चुका है। इस प्रकार वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहा है, इसलिए उक्त दोनों तनकीयात प्रतिवादी 1 के पक्ष में व विरूद्ध वादी तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं0 1 व 2 दोनों प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में व वादी के विरूद्ध तय की गई है। वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहा है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.04.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, ज़िला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 160/2016

अनवान :

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. किताबो पत्नी बलबीर जाति जाट साकिन सरदारपुराबास चिड़ियागांधी।
2. प्रबंधक ओबीसी बैंक शाखा गांधीबड़ी।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील प्रतिवादी सं0 1 की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा (राज.)

25.4.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ